

नम्बर व तारीख अहकाम जो हुकम की तारीख में जारी हुआ	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तारीख में जारी हुए
<p>प्रतिवादी 13416</p> <p>प्रतिवादी को पेश हो।</p>	<p>26-516 पत्रावली पेश हुई/कमील करी/कमील समयपक्ष उपस्थित है- जिला P.O. साहब दौरे पर है। अवकाश पर है/का स्थानान्तरण हो गया है- अतः पत्रावली दि. 14-6-16 कैम्प शेडावाकरामगढ को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">रीडर</p> <p>14-6-16 पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत मु. शेडावाकरामगढ पर पेश हुई। वादी प्रभूदयाल, रामेश्वर तथा वादी गिरधारी का पुत्र चैतराम उपस्थित है। प्रतिवादी सुमन, सरपंच, ग्रा.पंच शेडावाकरामगढ भी उपस्थित है। प्रतिवादी सरपंच शेडावाकरामगढ ने यह लिख कर दिया है कि ख.नं. 431, 432 ग्राम जैतपुर में ग्राम पंचायत द्वारा सड़क निर्माण का कार्य नहीं करवाया जा रहा है। मिट्टी भी नहीं डलवाई जा रही है। इसके अतिरिक्त दोनों पक्षकारों ने राजीनामा इस आशय का पेश किया है कि प्रतिवादी से 1 भूमि ख.नं. 431, 432 ग्राम जैतपुर में कोई रोड निर्माण का कार्य नहीं करेगा न ही मिट्टी डलवायेगा। इसलिये पक्षकारान में अब कोई विवाद नहीं रहा है। तथा वादीगण अपना दावा वापस लेना चाहते हैं। वादीगण को दावा वापिस लौटा दिया जावे।</p> <p>प्रस्तुत राजीनामा स्वीकार किया जाकर वादीगण को वाद वापिस लेने का आदेश दिया जाता है। पंच डिक्री जारी किया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल हुक्म हो।</p>	<p>(सतीश कुमार शर्मा) (रवि कुमार शर्मा) (मुनिद्वय यादव) सडवोकेट सडवोकेट अध्यक्ष लोक अदालत लोक अदालत गंगापुर सिटी गंगापुर सिटी गंगापुर सिटी उप जिला कलेक्टर</p>

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

नम्बर
अहकान
हुकम
में ज

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, गंगापूर सिटी
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत / केम्प कोर्ट) खेडाकाठरामगढ

न्यायाधीश :- मुनिदेव यादव R.A.S.
 उनवान ① सुमन w/o मन्नु, मीना जैतपुर टाणी तालुक
 बनाम ② रामेश, पुत्रगण सुखचन्द जाति केरवा
 ③ अजरगा नि. जैतपुर
 ④ कान्हा पुत्रगण टाणी माधोपुर
 ⑤ शायर सोनिया तह. गंगापूर
 - प्रतिवादीगण

दिनांक :- 14-6-2016
 यादी की ओर से प्रभुदयाल व अन्य की व प्रतिवादी की ओर से सुमन, प्रति.
 स्थिति में इस वाद में आज तारीख 14-6-2016 को मुनिदेव यादव (नाम पीठासीन अधिकारी).....
 [M vf/kdkjh] ----- के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया
 और डिक्री दी जाती है कि -

~~उन्हें डांग प्रस्तुत राजीनामा स्वीकार किया जाकर वादीगण को
 न्याय लेने की अनुमति दी जाती है।~~

हस्ताक्षरान अपना-अपना वहन करेंगे।
 आज तारीख 14-06-2016 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी



(मुनिदेव यादव)
 पीठासीन अधिकारी
 उपखण्ड अधिकारी एवं
 पदेन सहायक कलक्टर, गंगापूर सिटी

वाद के खर्चे

वादी	प्रतिवादी		
	रुपया	रुपया	
क के लिए स्टाम्प	.	शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	.
क के लिए स्टाम्प		अर्जी के लिए स्टाम्प	
क के लिए स्टाम्प		प्लीडर की फीस	
क के लिए स्टाम्प		साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	
क के लिए निर्वाह-व्यय		आदेशिका की तामील	
क की फीस		कमिश्नर की फीस	
क की तामील			
जोड़		जोड़	